सड़क किनारे खड़ी बोलेरो से टकराई तेज रफ्तार बाइक, युवक की मौत

शहडोल, देशबन्धु। ब्यौहारी थाना क्षेत्र के पपरेड़ी गांव में सड़क किनारे खड़ी बोलेरो के पीछे एक तेज रफ्तार बाइक घुस गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई है। तेज आवाज सुनकर बोलेरो मलिक घर से बाहर निकाला। देखा तो उसके वाहन के पीछे एक बाइक जा घुसी थी और बाइक सवार सड़क पर गिरा था। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है।

ब्यौहारी थाना क्षेत्र के पपरेड़ी गांव में दिलीप वैश्य के घर के सामने सड़क किनारे उनकी बोलेरो खड़ी थी। तभी तेज रफ्तार बाइक सवार प्रमोद सिंह देवरी की ओर जा रहा था। बाइक चालक ने तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए बोलेरो के पीछे ठोकर मार दी। बाइक की रफ्तार तेज होने से बाइक बोलेरो वाहन के पीछे जा घुसी। टक्कर होते ही युवक सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लोगों ने बताया कि बाइक सवार युवक के शरीर और सर में गंभीर चोट पहुंची हैं।

थानीय लोगों ने बताया कि बाइक की टक्कर बोलेरो से होने की आवाज काफी तेज हुई, जिससे बोलेरो मलिक घर से बाहर निकाला और आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। देखा गया तो बाइक सवार युवक सड़क पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था, उसकी सांसें थम गई थीं। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने बताया कि शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए रवाना किया गया है, मामले पर जांच जारी है।

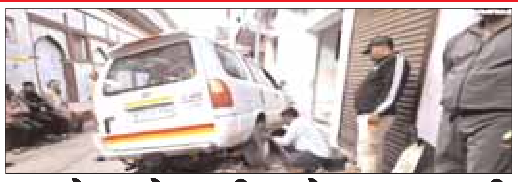

सागोन से भरी टवेरा चढ़ा दी दुपहियों पर, आरोपी फरार

पन्ना, देशबन्धु। नगर के धाम मुहल्ले में सुबह 5 बजे सागोन की सिल्लियों से भरे टवेरा वाहन क्रमांक-एमी 35 सीए 2096 द्वारा सकरी कुलियों में घुसकर सड़क के अगल बगल खड़े दुपहिया वाहनों पर चढ़ा दिया गया। वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दीवार में टकरा कर वाहन बंद हो गया। उसे छोड़ कर लकड़ी तस्कर फरार हो गया।

ज्ञात हो कि उक्त टवेरा वाहन में अवैध लकड़ी भरी हुई थी जो बाइपास रोड से निकलकर धाम मोहल्ला की ओर आ रही थी। उसकी सूचना विश्रामगंज वन परिक्षेत्राधिकारी नितिन राजोरिया को मिली तो राजोरिया द्वारा वन अमले के साथ टवेरा वाहन का पीछा किया गया। इसके चलते आरोपियों ने वाहन को धाम मुहल्ले में घुसा दिया तथा दुपहिया वाहनों को क्षतिग्रस्त करते हुए आरोपी भाग गये।

वन विभाग द्वारा वाहन नम्बर के आधार पर अपराधियों की तलाश की जा रही है। ज्ञात हो की वन मंडल अधिकारी गरवित गंगवार के निंर्देशन में रेंजरों द्वारा लगातार वन अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल रेंजर राजोरिया द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

कफ सीरप का अवैध विक्रय करने के जुर्म में दस साल की सजा

पन्ना,देशबन्धु। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि.ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 02-10-2021 को उपनिरीक्षक राकेश तिवारी ने थाना रैपुरा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी थी कि दो लड़के दमोह रोड रैपुरा तरफ अबैध कोडिस्टार कफ सीरप नशीली दवा लिए हुए आ रहे थे उक्त सूचना की तस्दीक हेतु हमराह बल के तलब शुदा गवाहान के दमोह रैपुरा रोड पेट्रोल पंप के आगे पहुंचकर तस्दीक कर दो ल?के आते दिखे जिन्हें घेराबंदी कर रोका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम अर्पित पिता स्व0 अरविन्द उम्र-23 साल निवासी करिया पाथर मोहल्ला रीठी एवं असलम खान पिता मुस्ताक खान उम्र-20 वर्ष निवासी सिघईया मस्जिद के पास रीठी के होना बताया। संदेहियों के हाथ में लिए हुए थैला को चैक करने पर पृथक पृथक काले रंग की पॉलीथिन में कोडीस्टार कफ सीरप की ह्द्धद्य×ह्द्धद्य सीसी प्रत्येक सीसी में 100 एम.एल. सीरप भरा है सभी सीरप की सीसी सीलबंद है अर्पित के पास 400 रूपये एवं असलम के पास 450 रूपये दोनों के पृथक पृथक तलाशी पंचनामा तैयार किये गये।

दोनों संदेहियों से उक्त कफ सीरप बेचने एवं रखने परिवहन करने का लायसेंस पूछा गया जो न होना बताया। दोनों संदेहियों का कृत्य अपराध धारा-8 सी के तहत दण्डनीय पाया गया। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही उपरांत थाना रैपुरा में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया।

विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण अर्पित एवं असलम खान के विरूद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री सुनील कुमार द्विवेदी अपर जिला लोक अभियोजक द्वारा दौरान विचारण अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपीगण अर्पित एवं असलम खान के विरूद्ध आरोप को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपीगण का कृत्य गंभीरतम होने के कारण उन्हे कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया।

अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्कों एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण अर्पित एवं असलम खान को धारा-8 सी) एनडीपीएस एक्ट में वर्ष का कठोर कारावास एवं रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सार-समाचार

कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई जनसुनवाई

शहडोल, देशबन्धु। कलेक्टर डॉण् केदार सिंह की उपस्थिति में आज कलेक्टर कार्यालय के सोन सभागार में साप्ताहिक जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में कलेक्टर डॉण् केदार सिंह ने शहडोल जिले के दूर.दराज के क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी और समस्याओं तथा शिकायतों का निराकरण समय.सीमा में करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंहए अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मुद्रिका सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

आशा कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगियों को दिया गया प्रशिक्षण

शहडोल, देशबन्धु। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले गर्मी के मौसम में ब्लू एवं ताप घाट से बचाव के विषय पर जिले की आशा कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगियों को आईण् पीण् पीण्6 सभागार मे प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए लू एवं तापमान से बचाव के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण के दौरान आशा कार्यकर्ता द्वारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न उद्देश्यों पर पोस्टर बनाकर प्रस्तुति दी गई। प्रशिक्षण जिला नोडल अधिकारी डॉण् अंशुमन सोनारे जिला सामुदायिक संयोजक श्री राम गोपाल गुप्ताण् श्री मोहम्मद अशरफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका उपस्थित थी।

शहडोल में कलेक्टर की उपस्थिति में मिलन समारोह आज

शहडोल, देशबन्धु। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल धीरेंद्र कुमार ने जानकारी दी है कि कलेक्टर डॉण् केदार सिंह की उपस्थिति में समस्त भूतपूर्व सैनिकोंएवीरनारीए वीरमाता एवं सैनिक विधवाओं का मिलन समारोह 12 मार्च को दोपहर 12रू00 बजे से कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में आयोजित किया गया है।

कमिश्नर कार्यालय मेंआयोजित की गई जनसुनवाई

शहडोल, देशबन्धु। कमिश्नर शहडोल संभाग श्रीमती सुरभि गुप्ता ने आज साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम में शहडोल संभाग के दूर.दराज क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी तथा समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में संयुक्त आयुक्त विकास श्री मगन सिह कनेश ए उपायुक्त राजस्व श्रीमती मिनिषा पाण्डेय सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।

गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन 31 मार्च तक

शहडोल , देशबन्धु। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने जानकारी दी है कि रबी विपणन वर्ष 2025.26 अंतर्गत समर्थन मूल्य में गेहूं उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन का कार्य 31 मार्च 2025 तक किया जाएगा। शासन द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2425६. रूपये प्रति क्विंटल एवं 175६. प्रति क्विंटल के मान से बोनस कुल ;2600६. प्रति क्विंटलद्ध के मान से निर्धारित किया गया है।

समर्थन मूल्य पर अपनी उपज विक्रय हेतु इच्छुक किसान निर्धारित समयावधि में अपना किसान पंजीयन पंजीयन की निः शुल्क व्यवस्था हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र परए जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, सहकारी समितियों एवं विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर, एमण्पीण् किसान एप पर एवं पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था हेतु एमण् पीण् ऑनलाईन कियोस्क पर कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क पर लोक सेवा केन्द्र परए निजी व्यक्तियों द्वारा संचालितए साइबर कैफे पर पंजीयन कर सकते हैं।

उन्होंने जानकारी दी है कि जिले में समिति स्तर पर निः शुल्क किसान पंजीयन हेतु 35 पंजीयन केन्द्र स्थापित किये गये है।

उनमें तहसील सोहागपुर में 06 पंजीयन केन्द्र क्रमशः सोहागपुर, सिंहपुर, छतबई, मझगवां, सामतपुर व जमुई में तहसील बुढार में 02 पंजीयन केन्द्र क्रमशः बुढार व धनपुरी मेंए तहसील जैतपुर में 05 पंजीयन केन्द्र क्रमशः केशवाहीए झींकबिजुरी रसमोहनीए जैतपुर व गिरवा ;बलबहराद्ध मेंए तहसील गोहपारू में 06 पंजीयन केन्द्र क्रमशः मोहतराए दियापीपर, खन्नौधी, पलसउ,देवरी व चुहिरी में तहसील जयसिंहनगर में 06 पंजीयन केन्द्र क्रमशः जयसिंहनगरए ठेंगरहा बनसुकलीए सीधीए अमझोर व टिहकी में तथा तहसील ब्यौहारी में 10 पंजीयन केन्द्र क्रमशः ब्यौहारीए पपरेडीए भन्नी, चचाई, खैरा देवगांव ;खड्डाद्ध, पपौध, ,पपौढ ;तिखवा, जनकपुर व सुखाड़ में स्थापित किये गये है। सिक्मी, बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसानों की पंजीयन सुविधा केवल समिति स्तरीय पंजीयन केन्द्रों में की गई है।

समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए किसान का पंजीयन होना आवश्यक है।

वन रक्षक पर तीन लोगों ने किया हमला, केस दर्ज

उमरिया, देशबन्धु। जिले के बरौदा सर्किल में वन विभाग के एक रक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना उस समय हुई जब वन रक्षक भिक्कू बैगा जंगल में मार्किंग कार्य करवा रहे थे। इसी दौरान तीन लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

जानकारी के अनुसार वन रक्षक भिक्कू बैगा जंगल के कक्ष क्रमांक 754 से 751 की ओर जा रहे थे। जब वे रवि महार के खेत के पास पहुंचे, तो रवि महार ने उन्हें रोक लिया। वहां पहले से ही सुखीलाल महार और लली महार भी मौजूद थे। इन तीनों ने मिलकर वन रक्षक पर हमला बोल दिया। इस दौरान उनकी वर्दी फट गई और उन्हें गंभीर चोटें आईं, खासकर उनके अंगूठे और शरीर पर मुख्य आरोपी रवि महार के खिलाफ पहले से ही अवैध लकड़ी से जुड़ा एक केस दर्ज था। वन विभाग उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था और इसी वजह से उसने वन रक्षक पर हमला कर दिया। रवि महार को डर था कि वन विभाग के अधिकारी उसकी अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वन रक्षक को निशाना बनाया।घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली की सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने तीनों आरोपियों रवि महार, सुखीलाल महार और लली महार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उन पर बीएनएस की धारा 126(2), 121(1), 296, 351(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

वन विभाग के अधिकारियों ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि वन रक्षकों को जंगल में सुरक्षा दी जानी चाहिए। अधिकारियों ने यह भी कहा कि अवैध लकड़ी तस्करों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी गुस्सा है। वन विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि जंगलों की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन असामाजिक तत्व अक्सर उन्हें धमकाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वे चाहते हैं कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और दोषियों को सख्त सजा दें। उमरिया जिले में वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं वन रक्षकों के मनोबल को तोड़ सकती हैं।

प्रशासन को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला करने से पहले अपराधी सौ बार सोचें।

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंचे तीन सौ विद्यार्थी

उमरिया, देशबन्धु। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अपनी समृद्ध जैव विविधता और बाघों की सघन उपस्थिति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह रिजर्व 1,526 वर्ग किलोमीटर के कोर और बफर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां वर्ष 2022 की गणना के अनुसार 165 से अधिक बाघ निवास करते हैं।

जागरूकता और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम

हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में विद्यार्थियों के लिए जागरूकता और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को वन एवं वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और पर्यटन उद्योग में रोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक करना था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशानुसार, कक्षा छह से आठ तक के लगभग तीन सौ विद्यार्थियों और शिक्षकों को पार्क का भ्रमण कराया गया। यह भ्रमण छह से आठ मार्च तक आयोजित किया गया, जिसमें प्रत्येक शिफ्ट में 50-50 विद्यार्थियों के समूह को दो मार्गदर्शक शिक्षकों के साथ उद्यान में भेजा गया।

भ्रमण से पहले जनशिक्षा केंद्र ताला में छात्रों को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में संचालित पर्यटन गतिविधियों, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, जंगल को आग से बचाने और स्थानीय समुदाय को जागरूक करने की शपथ दिलाई गई।

विद्यार्थियों ने जूनियर फायर वॉचर के रूप में रिजर्व की सुरक्षा और जागरूकता गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया। इस दौरान सेंटर पॉइंट पर विद्यार्थियों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई।

भ्रमण कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी एसडीओ दिलीप मराठा और परिक्षेत्र अधिकारी खितौली सात्विक जैन ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया। पहले दिन विकासखंड स्रोत समन्वयक, मानपुर, यज्ञसेन त्रिपाठी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

पार्क प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों ने सेंटर पॉइंट पर विद्यार्थियों से चर्चा कर पर्यटन उद्योग में रोजगार के अवसर, पर्यटन से होने वाले लाभ, वन्यजीवों और जंगलों को आग से बचाने के दुष्परिणामों पर जानकारी दी।

विद्यार्थियों के अनुभव और भ्रमण से प्राप्त ज्ञान को एक प्रपत्र के माध्यम से संकलित किया गया। इसके अतिरिक्त, 10 माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष व्याख्यान आयोजित किए गए।

22 आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजरों को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश

उमरिया, देशबन्धु। जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत अभय सिंह ने प्रधानमंत्री जन मन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर में अनुपस्थित रहने तथा फोन पर संपर्क न करने के कारण 22 आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजरों को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की है। इस संबंध में उन्होंने सहायक निदेशक, कार्यालय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, मध्यप्रदेश परिमंडल, भोपाल को पत्र लिखा है।

सीईओ जिला पंचायत ने पत्र में उल्लेख किया कि आधार ऑपरेटरों और सुपरवाइजरों को इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में उपस्थित रहना आवश्यक था। बावजूद इसके वे अनुपस्थित रहे और जब उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। उनकी इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए, तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की गई है, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो।ब्लैकलिस्ट किए जाने वाले आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजरजिन 22 आधार ऑपरेटरों और सुपरवाइजरों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए पत्र भेजा गया है। प्रशासन की सख्तीजिला पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यक्रमों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए जाते हैं, उन्हें उसका पालन करना होगा। यदि वे अनुपस्थित रहते हैं या जिम्मेदारी से बचते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार कर्मियों की उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी अनिवार्य होती है। उमरिया जिले के इन 22 आधार ऑपरेटरों और सुपरवाइजरों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पेयजल प्रकोष्ठ का गठन

शहडोल, देशबन्धु। कार्यपालन यांत्रिक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग शहडोल ने आदेश जारी कर जिले में ग्रीष्म ऋतु में जनजनित बीमारियों एवं संभावित पेयजल समस्या के त्वरित निराकरणएनियंत्रण एवं रोकथाम व पेयजल व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु जिला स्तरीय एवं विकासखंड स्तरीय पेयजल प्रकोष्ठ का गठन किया है जिला स्तरीय प्रकोष्ठ का दूरभाष क्रमांक 07652240 397 है।

जिला स्तरीय पेयजल प्रकोष्ठ के संचालन हेतु श्री यूके सोनी प्रकोष्ठ प्रभारीए श्री मनोज कुमार सिंह प्रकोष्ठ रजिस्टर प्रभारीए श्री राहुल मरकाम श्री रोहिणी कुमार बर्मन की ड्यूटी लगाई गई है।

इसी प्रकार लोक स्वस्थ्ू यंत्रिकी उपखंड शहडोल में श्री विवेक तिवारी सहायक यंत्रीए श्री के एस गर्ग उप यंत्रीए श्री शुभम शिवहरे उप यंत्रीए श्री दीप नारायण त्रिपाठी विकासखंड समन्वयकए लोग स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखंड बुढार हेतु श्री व्ही केसरवानी प्रभारी सहायक यंत्री श्री अजय कुमार श्रीवास्तव उप यंत्रीए कुमारी अपर्णा यादव उप यंत्रीए श्री रोहिणी गुप्ता विकासखंड समन्वयकए लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखंड व्यवहारी हेतु श्री व्ही केसरवानी प्रभारी सहाय केंद्रीयए श्री व्ही एन पटेल उप यंत्रीए श्री नरेंद्र कोरी टेक्नीशियनए श्री राजकरण मौर्य टेक्नीशियनए की ड्यूटी लगाई गई है।

ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव पर कार्रवाई की मांग

पन्ना, देशबन्धु। जिले के पवई जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ में चल रही अनियमितता धांधली और भ्रष्टाचार की वजह से लोग परेशान हैं। पंचों के द्वारा कई बार जनपद सीईओ से शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से 11 मार्च 2025 को कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ को शिकायती आवेदन सौंप कर जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। पांचों ने शिकायती आवेदन पत्र के माध्यम से बताया है कि ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ में ग्राम सभा की बैठकों एवं अन्य कार्यों की कोई भी जानकारी पंचों को उपलब्ध नहीं करवाई जाती और ना उन्हें बैठकों में बुलाया जाता, मनमाने तरीके से प्रस्ताव पारित कर काम करवाए जाते हैं और अधिकांश कामों के नाम पर बिना काम के ही राशि आहरित कर ली जाती है जिसकी शिकायतों के बावजूद जांच और कार्यवाही का कुछ पता नहीं चल रहा जिससे संपूर्ण पंचायतवासी परेशान हैं। पांचों ने मामले की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच करवा कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के दौरान दीपेंद्र त्रिपाठी सहित काफी संख्या में पंच शामिल रहे।

आंगनबाड़ी की व्यवस्था सुधारें

शहडोल, देशबन्धु। कलेक्टर डॉण् केदार सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा किये गए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि जिले में संचालित ऑगनवाड़ी केंद्रो में बच्चों को मीनू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराए, ऑगनवाडी केंद्रों में आने वाले बच्चों से संवाद करे। उन्होंने कहा कि ऑगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति रहे यह सुनिश्चित करे तथा बच्चों के लिए गतिविधियां भी आयोजित करे। कलेक्टर ने कुपोषित बच्चों की स्थितिए टेक होम राशनए सांझा चूल्हा भुगतान सहित अन्य कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री मनोज लारोकर सहित परियोजना अधिकारी उपस्थित थें।